

14 $\frac{9}{20}$ पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/प.० का राज्य कार्य में व्यस्त/दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 14-10-20 को पेश हो।

14 $\frac{10}{20}$ पत्रावली जगद्वारा वकील द्वारा अर्ज पत्रावली पूर्वानुसार दि० 27.11.20 को पेश हो।

27 $\frac{10}{20}$ पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/प.० का राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 27-11-20 को पेश हो।

27.11.20 पत्रावली बहस हेतु पेशी में ली गयी। बहस पारसिंगीठा सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि० 16.12.20 को पेश हो।

16.12.20 पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वाद के वकीलों के अभाव स्टैंड पर गिर किया गया। वादीगण चारागाह भूमि में से कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। कृषि भूमि हेतु चारागाह में से रास्ता दिया जाना 251(क) RTA के तहत अनुमत नहीं है। अतः पारसिंगीठा 251(क) RTA खारिज किया जा रहा है।

निर्णय आज दि० 16.12.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जु
(खोजी लाल सिंह)
16.12.20

